फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

ओमप्रकाश बनाम **लालचन्द**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 105 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
04.09.2020	प्रार्थी/सायल की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण/गैरसायलान संख्या 1 इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 300, 312 ,318 की कुल 27.6320हैक में से गैरसायल न0 1 का 115/2512 हिस्सा यानी 1.265हैक भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाई रखी जावे रास्ते खाला पर स्थगन आदेश लागू नही होगा। यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायइी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 29.10.2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
29/10/20	पत्रावली पेश हुई [illegible] के परिपत्र दिनांक 21.9.2020 के [illegible] निर्देशन अनुसार पत्रावली दिनांक .....को पेश हो। 8.3.21	
08/3/21	~~बजरिया~~ [illegible] निर्देश [illegible] के [illegible] में [illegible] के कारण प्रार्थना पत्र नही चलाना चाहते [illegible]। सायल [illegible] के द्वारा नही चलाने के कारण खारिज किये जाते व पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	प्रार्थी को नही चलाना चाहते दाज दफ्तर हो 8/3/2021

Scanned with CamScanner